कार्यालय विक्रय अधिकारी

बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड,बारां

कमांक :– 7654-7672 –:पूर्व स्थगित संशोधित विक्रय की उद्‌घोषणा :– दिनांकः–19.07.2025

एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 99–100 के अन्तर्गत चूक करने वाले **ऋणी भोजराज गुर्जर पुत्र श्री उदयलाल गोचर** से बैंक बकाया तथा कुर्की/बिकी का खर्चा वसूल करने के लिए न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ बारां के आदेशानुसार अधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न प्रकार वर्णित अचल सम्पत्ति को अग्रांकित दिनांक/तिथि एंव नीलामी स्थल पर सार्वजनिक रूप से खुली बोली के द्वारा नीलाम/विकय किया जावेगा। तथापि बोली समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्चा चुका दिये जाने की स्थिति में विकय बन्द कर दिया जावेगा। नीलामी की शर्ते बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड के पास बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। **नीलामी दिनांक :–29.08.2025** **आरक्षित मूल्य 17.50 लाख**

क	विकय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	नीलामी दिनांक	नीलामी समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (रू0)	जमानतदार
01	सम्पत्ति मालिक एंव ऋणी श्री भोजराज गोचर पुत्र श्री उदयलाल गुर्जर निवासी–श्रीराम नगर कालोनी अन्ता ,जिला–बारां राजस्थान के स्वामित्व का मकान/अचल सम्पत्ति जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र 11.10.2019 पुस्तक सख्यां 1 जिल्द सख्यां 210 मे पृष्ठ सं0 72 कं सं0 201903310100674 सम्पत्ति का मूल्य 16.87 लाख वेल्यूवेशन दिनांक 08.07.2024 के अनुसार अचल सम्पत्ति की साईज / माप :– 29 x 28 = 812'' वर्गफीट जिसमें 5 रूम, 1किचन, लेट, बाथरूम, एंव जीना जिसमें तीन कमरे पटट्‌टीपोश शेष आर.सी.सी. (यथास्थिति मौकानुसार) पूर्वः–प्लॉट सं0 84 पश्चिमः–रोड 30 फुट उत्तरः–प्लॉट सं0 78 दक्षिणः–रोड 30 फुट	29.08.2025	दिन के 12 बजे से सायं 04 बजे तक आरक्षित मूल्य रू0 17.50 लाख	बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0 शाखा अन्ता आई.सी. आई.सी.आई बैंक वाली गली के सामने कोटा– बारां रोड अन्ता	बकाया ऋण राशि :– 1686953.00 रू 30.06.2025 तक एंव **ब्याज/कुर्की बिकी खर्चा बैंक नियमानुसार अलग से।**	1. श्री रधुवीर प्रसाद नागर पुत्र श्री शंकरलालजी निवासी–श्रीराम नगर कालोनी अन्ता,जिला–बारां 2. श्री श्यामलाल पोटर पुत्र श्री मांगीलाल जी निवासी–श्रीराम नगर कालोनी अन्ता,जिला–बारां

नीलामी की शर्ते :–

1. रजिस्ट्रेशन राशि 5000/–रू0 रहेगी, जो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/विक्रय अधिकारी के पास दिनांक–**29.08.2025 को 10 बजे से दिन के 03 बजे** तक नकद जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकते है। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
2. नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपस्थित होगें, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र ,फोटो , पेन कार्ड ,आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली में रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/–रू0 के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढती रहेगी।
4. नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे बोली समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत् राशि उसी दिन या 01 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी,उक्त समयावधि में राशि जमा नही होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी,जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
5. शेष बकाया नीलामी राशि 07 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड बारां में उक्त खाता संख्यॉ–**001130901150130** में जमा करानी होगी। 07 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत् जमा राशि भी जब्त कर ली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
6. यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नही कराता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
7. नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी/विक्रय अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
8. नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नही होगा।
9. यदि ऋणी द्वारा नीलामी दिनांक से 30 दिवस में बकाया ऋण राशि ,ब्याज,वसूली खर्च,एंव अन्य नीलामी से संबधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होगा तथा बोली दाता की नीलामी राशि बैंक में प्रचलित सैविंग्स ब्याज दर सहित वापस लोटा दी जावेगी।
10. चल एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत की जावेगी।
11. मौके पर सम्पत्ति प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा **"जहॉं है, जैसी है" और जो है,जो कुछ भी है",जिसके पास भी है"** के आधार पर यथास्थिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
12. उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया ड्यूज ,एंव सम्पत्ति ट्रान्सफर खर्च केता को वहन करना होगा।
13. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यकम मे परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।
14. विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एंव कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौके पर पधारकर बोली लगावे।

Sd
विक्रय अधिकारी
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0

कृ0 पृ0 उ0

क्रमांक–फा.वसूली(0)बानासबैंकप्र.कार्या.बारां/2025–26/ 7654 दिनांक–19.07.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नाकिंत को प्रेषित है :–

(01) श्रीमान् न्यायालय उप रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियॉ–बारां

(02) श्रीमान् अध्यक्ष महोदय/महाप्रबन्धक महोदय, बैंक

(03) शाखा प्रबन्धक,मुख्य शाखा बारां/छबडा/तेल फैक्ट्री बारां/प्र0कार्या0शा0 बारां/अन्ता/मांगरोल/अटरू/छीपाबडौद

(04) ऋणी श्री भोजराज गुर्जर पुत्र श्री उदयलाल गोचर निवासी–श्रीराम नगर कालोनी अन्ता,जिला–बांरा राजस्थान को जर्ये पत्र द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त रहन शूदा सम्पत्ति की नीलामी हेतु विकय की उद्घोषणा दिनांक 17.08.2025 के बाद स्थानीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करवा दी जाएगी समस्त ऋणी सदस्य एवं जमानतदारान सूचित हों।

(05) श्री रघुवीर प्रसाद नागर पुत्र श्री शंकरलाल जी निवासी–श्रीराम नगर कालोनी अन्ता,जिला–बारां –..................................(जमानतदार)

(06) श्री श्यामलाल पोटर पुत्र श्री मांगीलाल जी निवासी–श्रीराम नगर कालोनी अन्ता, जिला–बारां ....(जमानतदार)

(07) नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु बैंककी शाखा अन्ता/नगर पालिका अन्ता/तहसील अन्ता/ग्राम पंचायत समिति अन्ता

(08) पुलिस थाना अन्ता

विक्रय अधिकारी

बारां नागरिक सहकारी बैंक लि०